

पत्रावली वास्ते इंतजार कुरेजात रिपोर्ट दिनांक
12/01/23 को पेश हो।

12/01/23 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित
तहसीलदार बस्सी से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त
होकर शामिल हैं। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों ने सहमति
व्यक्त की एवं तहसीलदार बस्सी से
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को
अंतिम डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।
वकील उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव
पर सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन करने एवं वकील उभयपक्षों को
विभाजन प्रस्ताव पर सुनने के पश्चात
तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव पर उभयपक्षों के सहमत होने से
वादी का वाद तहसीलदार बस्सी से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री
किया जाता है कि वादगृह आरजी खसरा
नं. 21 रकबा 4.0717 हेक्टेयर स्थित
ग्राम हरिरामपुरा प-ड. मनोहरपुरा भू-अर्नि
लालगढ तह. बस्सी जिला जयपुर में से
खसरा नं. 21/16 रकबा 0.2500 हेक्टेयर

फर्द अहकाम

2021/101

कालू वनाम जगदीश
 प : सहायक कलक्टर, बस्सी
 धर्ना पत्र/मुकदमा नम्बर : 58/2021

आज्ञा र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>की भूमि खातेदार काना पुत्र मंगला जाति रैगर सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/9 रकबा 0.2500 हैक्ट. की भूमि खातेदार चन्दा सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पि. नारायण दि. 8/9 सीता देवी पुत्री नारायण दि. 1/9 जाति रैगर सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/10 रकबा 0.2500 हैक्ट. की भूमि खातेदार जगदीश पुत्र मंगला जाति रैगर सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/1 रकबा 0.4500 हैक्ट.; खसरा नं. 21/2 रकबा 0.3000 हैक्ट. कुल कित 2 कुल रकबा 0.7500 हैक्ट. की भूमि खातेदार घनश्याम कालूराम पि. बाबूलाल दि. 7/9 अनोरवी देवी सुनिता देवी संतोष देवी धीरा देवी पुत्रियां बाबूलाल दि. 2/9 राधिन IDBI बैंक शाखा गीता की नांगल जाति रैगर सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/19 रकबा 0.0800 हैक्ट., खसरा नं. 21/6 रकबा 0.1700 हैक्ट. कुल कित 2 कुल रकबा 0.2500 हैक्ट. की भूमि खातेदार नाथूलाल पुत्र सुवालाल जाति रैगर सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/21 रकबा 0.0800 हैक्ट.; खसरा नं. 21/4 रकबा 0.1592 हैक्ट.; खसरा नं. 21/13 रकबा 0.0108 हैक्ट. कुल कित 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्ट की भूमि खातेदार मदनलाल पुत्र सुवालाल जाति रैगर सा.देह के हिस्से में रहेगी</p>	

2021/101

फर्द अहकाम

कालू

बनाम जगदीश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 58/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		तथा खसरा नं. 21/20 रकबा 0.0800 हैक्ट. खसरा नं. 21/5 रकबा 0.1592 हैक्ट., खसरा नं. 21/14/1 रकबा 0.0108 हैक्ट. कुल खेता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्ट. की भूमि खातेदार सत्यनारायण पुत्र मुनालाल जाति रेंगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/7 रकबा 0.2100 हैक्ट., खसरा नं. 21/18 रकबा 0.5076 हैक्ट., खसरा नं. 21/14 रकबा 0.0324 हैक्ट. कुल खेता 3 कुल रकबा 0.7500 हैक्ट. की भूमि खातेदार तेजराम पुत्र सोनिया दि. 1/2 राधिन आन्ध्रा बैंड शाखा भट्टेसरी जाति रेंगर सा. देह रामोतार पुत्र सोनिया दि. 1/2 जाति रेंगर सा. देह राधिन केनरा बैंड शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21/8 रकबा 0.2200 हैक्ट., खसरा नं. 21/11 रकबा 0.0800 हैक्ट. खसरा नं. 21/15 रकबा 0.0324 हैक्ट. खसरा नं. 21/17 रकबा 0.4176 हैक्ट. कुल खेता 4 कुल रकबा 0.7500 हैक्ट. की भूमि खातेदार पप्पूलाल कालू राधेश्याम पि. चौदूराम दि. बराकर जाति रेंगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 21 रकबा 0.2867 हैक्ट. खसरा नं. 21/3 रकबा 0.0250 हैक्ट. खसरा नं. 21/22 रकबा 0.0100 हैक्ट. कुल खेता 3 कुल रकबा 0.3217 हैक्ट.


2024/101

फर्द अहकाम

कालू बनाम जगदीश

पय : सहायक कलक्टर, बस्सी

गार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 58/2021

न आज़ा र्यवाही	आज़ा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>की भूमि जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार शामिल रहेंगी। उम्मानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल डरायड करने हेतु तहसीलदार बस्सी को लिखा जावे। कुरैजात व नम्बू बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजे जावे। डिक्री पचा जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीर जारी हो। पञ्जावली फ़ैसल सुमार होकर बाद तउमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर बस्सी जिला जगपुर </p>	

अंतिम डिक्री मुकदमा इन्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर बीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. कालू पुत्र छोटूराम
2. पप्पूलाल पुत्र छोटूराम
3. राधेश्याम पुत्र छोटूराम
4. रामोतार पुत्र सोन्या
समस्त जाति रैगर निवासी
हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला
जयपुर।

प्रतिवादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र मंगला
2. काना पुत्र मंगला
3. कालू पुत्र बाबूलाल
4. घनश्याम पुत्र बाबूलाल
5. बीला देवी पत्नि बाबूलाल
5/1 अनोखी पुत्री बाबूलाल पत्नि विष्णु
जाति रैगर निवासी ग्राम गीला की
नांगल तह. बस्सी जिला जयपुर।
5/2 सुनीता पुत्री बाबूलाल पत्नि पूरण
जाति रैगर निवासी ग्राम रायसर तह.
जमवारामगढ जिला जयपुर।
5/3 हीरा देवी पुत्री बाबूलाल पत्नि
सुरेश जाति रैगर निवासी ग्राम रायसर
तह. जमवारामगढ जिला जयपुर।
5/4 संतोष पुत्री बाबूलाल पत्नि
दीपचन्द जाति रैगर निवासी ग्राम
सरजोली तह. जमवारामगढ जिला
जयपुर।
6. चन्दराम पुत्र नारायण
7. तेजराम पुत्र सोन्या
8. सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र नारायण
9. सीता देवी पुत्री नारायण
10. नाथू पुत्र सुवा
11. मदन पुत्र सुवा
12. सत्यनारायण पुत्र सुवा
समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम
हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।
13. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
14. उपपंजियक बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 58/21

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 21
रकबा 4.0717 हेक्टेयर स्थित ग्राम हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 21/16

रकबा 0.2500 हेक्टेयर की भूमि खातेदार कान्हा पुत्र मंगला जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/9 रकबा 0.2500 हेक्टेयर की भूमि खातेदार चन्दा, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पि. नारायण हि. 8/9 शीता देवी पुत्री नारायण हि. 1/9 जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/10 रकबा 0.2500 हेक्टेयर की भूमि खातेदार जगदीश पुत्र मंगला जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/1 रकबा 0.4500 हेक्टे, ख.नं. 21/2 रकबा 0.3000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 हेक्टे. की भूमि खातेदार घनश्याम कालूराम पि. बाबूलाल हि. 7/9 अनोखी देवी सुनिता देवी संतोष देवी हीरा देवी पुत्रियां बाबूलाल हि. 2/9 राहिन आई.डी.वी.आई. बैंक शाखा गीला की नांगल जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/19 रकबा 0.0800 हेक्टे., ख.नं. 21/6 रकबा 0.1700 हेक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 हेक्टे की भूमि खातेदार नाथूलाल पुत्र सुवालाल जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/21 रकबा 0.0800 हेक्टे, ख.नं. 21/4 रकबा 0.1592 हेक्टे, ख.नं. 21/13 रकबा 0.0108 हेक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हेक्टे की भूमि खातेदार मदनलाल पुत्र सुवालाल जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/20 रकबा 0.0800 हेक्टे., ख.नं 21/5 रकबा 0.1592 हेक्टे, ख.नं. 21/14/1 रकबा 0.0108 हेक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हेक्टे की भूमि खातेदार सत्यनारायण पुत्र सुवालाल जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/7 रकबा 0.2100 हेक्टे. ख.नं. 21/18 रकबा 0.5076 हेक्टे. ख.नं. 21/14 रकबा 0.0324 हेक्टे कुल किता 3 कुल रकबा 0.7500 हेक्टे की भूमि खातेदार तेजराम पुत्र सोन्या हि. 1/2 राहिन आन्धा बैंक शाखा भटेसरी जाति रैगर सा. देह रामोतार पुत्र सोन्या हि. 1/2 जाति रैगर सा. देह राहिन केनरा बैंक शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21/8 रकबा 0.2200 हेक्टे., ख.नं. 21/11 रकबा 0.0800 हेक्टे ख.नं. 21/15 रकबा 0.324 हेक्टे ख.नं. 21/17 रकबा 0.4176 हेक्टे कुल किता 4 कुल रकबा 0.7500 हेक्टे की भूमि खातेदार पप्पूलाल कालू राधेश्याम पि. छोटूराम हि. बराबर जाति रैगर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 21 रकबा 0.2867 हेक्टे ख.नं. 21/3 रकबा 0.0250 हेक्टे ख.नं. 21/22 रकबा 0.0100 हेक्टे कुल किता 3 कुल रकबा 0.3217 हेक्टे की भूमि जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार शामिल होती रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बस्सी को लिखा जावे। कुर्रेजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजे जावें।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....

इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

वसख मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर



आहद

दस्तख्त

रामकृष्ण बस्सी जिला जयपुर

मुद्ददर्श	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो
नहीं दर्ज करना चाहिए।

26

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर